फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाश | **विपक्षी : श्री भगा**

किस्म मुकदमा –212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 02/23**

जीसीएमएस : 2023/2

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 11.12.2024

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थी सं. 4 द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय विड्रो का व प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील कुमार ओस्तवाल द्वारा वकालतनामा पेश करने पर तलब की गई। वकालतनामा मूल वाद में शामिल फाईल किया जावें। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थी सं. 4 को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थी सं. 4 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थी सं. 4 को प्रार्थना पत्र पत्रावली विड्रो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र विड्रो को पढकर अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थी सं. 4 को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। प्रार्थी सं. 4 की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. सभी प्राथीगणों की ओर से विड्रो फरमाया जावें।

चूंकि अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थी सं. 4 अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा पत्रावली को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में पत्रावली को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थी सं. 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:22:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली